संख्या-1172/2026/817/22-2-2026-17(1215)/2023

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 02 सितम्बर, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पिन्टू पुत्र श्री महावीर, निवासी जनपद-मेरठ की स्थायी नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-13927/प्रो0(6)/263/(विश्व स्वास्थ्य दिवस-26), दिनांक 09.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पिन्टू पुत्र श्री महावीर, जो अरनावली, थाना-जानी, जनपद-मेरठ का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक-05.06.2006 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लूट करने के उद्देश्य से तमंचे से गोली मारकर हेमन्त अग्रवाल नामक व्यक्ति की हत्या कर पैसे तथा जेवर लूट ले गये। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-526/2007, भा०द०वि० की धारा-394, 302/34, 411 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-10, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 30.07.2009 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 06.07.2015 द्वारा निर्णीत करते हुये उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07.04.2026 तक अपरिहार 16 वर्ष, 00 माह, 02 दिन एवं सपरिहार 20 वर्ष, 11 माह, 23 दिन की सजा भोगी गयी है। बन्दी के ऊपर अन्य विचाराधीन वाद (1) अ0सं0-205/2006, भा०द०वि० की धारा-307, थाना-रामराज, जनपद-मुजफ्फरनगर मे लम्बित है, बन्दी उक्त लम्बित वाद में जमानत मुचलके पर रिहा किया गया। दयायाचिका समिति द्वारा उल्लिखित किया गया है कि बन्दी द्वारा योजना बनाकर पैसे तथा जेवर के लूट के उद्देश्य से गोली मारकर हत्या करने का अत्यन्त गम्भीर, जघन्य प्रकृत्ति का अपराध कारित किया गया है। बन्दी के ऊपर गम्भीर अन्य वाद लम्बित है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज मे न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। अतएव बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के दृष्टिगत समिति द्वारा शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28 जुलाई 2021, संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी/2018 दिनांक-27.05.2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी पिन्टू पुत्र श्री महावीर की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पिन्टू (बंदी संख्या-52380) पुत्र श्री महावीर, निवासी जनपद-मेरठ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-1172/2026/817(1)/22-2-2026 तद्दिनांक..

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।